

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

22 MAR 2018



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

अनुबंध पत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH कारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, जनपद- भदोही DH 541413

द्वितीय पक्ष: मेसर्स, हर्ष इन्टर प्राईजेज, निवासी-अचारी मार्केट, सोनिया तलाब, गोपीगंज, भदोही।

उ०प्र० राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/एन.एच.एम./लेखा/211/iv/12899-75 Date 19-03-2018 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "एन०एच०एम०" के योजना" में अधिकारियों के भ्रमण हेतु प्रा०स्वा०केन्द्र डीघ में सेवा प्रदाता एजेन्सी/वाहन स्वामी मेसर्स, हर्ष इन्टर प्राईजेज, निवासी-अचारी मार्केट, सोनिया तलाब, गोपीगंज, भदोही द्वारा उपलब्ध करायी गयी वाहन संख्या- यू०पी०-६६ टी ३९९३ एवं वाहन संख्या- यू०पी.-६६ एल ५६०७ जनपद स्तर पर अधिकारियों के भ्रमण हेतु अनुबन्धित किये जाने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: एस०पी०एम०यू०/एन.एच.एम./लेखा/211/iv/12899-75 Date 19-03-2018 एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./लेखा/2014-15/103(4)/11114-75 दिनांक 03.03.2016 द्वारा जारी महत्वपूर्ण गतिविधियों को वर्ष 2018-19 में अनवरत संचालित किये जाने हेतु जनपद- भदोही में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.18 से 31.03.2019 अर्थात् पी.आई.पी. स्वीकृत होने तक होगी।

- द्वितीय पक्षकार जिला-संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड-भदोही में "एन.आर.एच.एम." योजना" के अन्तर्गत भ्रमण हेतु वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
- सेवाप्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन. संख्या- यू०पी०-६६ टी ३९९३, यू०पी. ६६ एल ५६०७ रुपये 25000/- प्रति माह की दर पर उपलब्ध करायेगा।
- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए :-
- वाहन टेक्सी परमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण, पत्र आदि होना अनिवार्य हैं तथा वहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।
- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में

Anurag

हर्ष इन्टरप्राइजेज

अचारी मार्केट, सोनिया तलाब

गोपीगंज-

भदोही

द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 1000.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

1. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0 15,000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
2. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
3. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घन्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
5. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल ज्ञानपुर, भदोही न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान: - ज्ञानपुर

दिनांक: 01.04.2018

हस्ताक्षर.....
(प्रथम पक्ष)

गावाह: 1.....

हस्ताक्षर.....

Anurag

(द्वितीय पक्ष)
हवि इन्टरगाइज

2.....
अचारी मार्केट
गोपीगंज-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावरय सचिव-जिला रावरथ रोसाइटी, जनपद- भदोही

DH 533244

द्वितीय पक्ष: मेसर्स, कृष्णा इन्टरप्राइजेज, निवासी-चौरकला, बिछिया, ऊँज, भदोही।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावरय सचिव-जिला रावरथ रोसाइटी द्वारा जनपदीय कार्ययोजना 2018-19 हेतु प्राप्त दिशा निर्देश तथा उ0प्र0 राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय रावरथ मिशन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन.एच.एम./लेखा/211/lv/12899-75 Date 19-03-2018 के क्रम में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी/वाहन रवामी मेसर्स, कृष्णा इन्टर प्राइजेज, निवासी-चौरकला, बिछिया, ऊँज, भदोही द्वारा उपलब्ध करायी गयी वाहन संख्या-(यू0पी0-६६ टी ६४६२ प्रा0स्वा0केन्द्र-औराई), (यू0पी0 ६६ एम 3778 सामु0स्वा0केन्द्र-भदोही), (यू0पी0-६६ एल-६०7८ सामु0स्वा0केन्द्र-गोपीगंज), (यू0पी0 ६६ टी 7374 जनपद स्तर हेतु) चार पहिया बन्द वाहन बोलेरो को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्ष 2018-19 हेतु तथा अगली निविदा होते तक के लिए अनुबन्धित की जाती है:-

द्वितीय पक्षकार जिला- भदोही द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु "वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-

- इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.18 से 31.03.2019 तक होगी।
- द्वितीय पक्षकार वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
- वाहन का मासिक किराया रू0 25,000/- प्रतिमाह होगा, जिसमें वाहन चालक, पी0ओ0एल0, वाहन मैनटेनेन्स, टोल टैक्स आदि व्यय सम्मिलित होगा।
- वाहन प्रतिमाह 2000 कि0मी0 से अधिक चलने पर रू. 5/- प्रति कि0मी0 दर से अतिरिक्त भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।
- परमिट प्रमाण पत्र एवं टैक्स भुगतान रसिद तीमाही प्रस्तुत किया जाए।
- अनुबन्ध पत्र में निस्पादित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उराकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी कीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य हैं तथा वहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।
- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 1000.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

✓

For me & all concerned

1. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि को रूप में जिला स्वास्थ्य सीमाहदी के नाम पर 15/04/2018 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष को द्वारा 15 दिन के भीतर अग्रिम खर्च करने पर या अनुबंध अर्थात् पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
2. वाहन मालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन मालक के पास पैसा लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन मालक के लिये नियोजन द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन मालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकली अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी वायिल्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन मालक किसी भी तरह की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
3. वाहन की छोटी मोटी दूध फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी दूध फूट की 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का वायिल्य द्वितीय पक्ष का होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जांचकाशी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
5. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल ज्ञानपुर, भदोही न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रवृत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित अपीलकरण मांग सकता है एवं अपीलकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्चद दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब की जा सकती है।

स्थान: - ज्ञानपुर

दिनांक: 30.04.2018

हरताकार.....
(प्रथम पक्ष)

गावाह: 1.....

हरताकार.....
(द्वितीय पक्ष)

2.....

1. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि को रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम पर 15/11/2018 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष को द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध अर्थात् पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
2. वाहन मालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन मालक के पास पैसा लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन मालक के लिये नियोजन द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन मालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकाली अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी वायिल्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन मालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
3. वाहन की छोटी मोटी दूध फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी दूध फूट की 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का वायिल्य द्वितीय पक्ष का होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जांचकाशी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
5. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल ज्ञानपुर, भदोही न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रवृत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित अपीलकरण मांग सकता है एवं अपीलकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्ध्र दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब की जा सकती है।

स्थान: - ज्ञानपुर

दिनांक: 30.04.2018

हरताकार.....
(प्रथम पक्ष)

गावाह: 1.....

हरताकार.....

पंचेला रा ३०
(द्वितीय पक्ष)

2.....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH कारो, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सांसाइटी द्वारा 2018-19 हेतु **EG 320518** प्रबन्धन ड्राफ्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य निशान, 3020 लखनऊके पत्र संख्या: एन0नै0एन0यू0/एन.एच.एन./लेखा/211/आई.वी./12899-75 दिनांक 19.03.2018 द्वारा दिये गये निर्देश एन.एच.एन. के बांजना में अधिकारियों के भ्रमन हेतु सानु0स्वा0केन्द्र, सुरियोंवा में सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी वाहन संख्या: यू0नै0 66 टी0 3612 चार पहिया बन्द वाहन बोलेरो को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्ष 2018-19 हेतु अनुबन्धित की जाती है:-

द्वितीय पक्षकार जिला- मदोही द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमन हेतु "वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-

- इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.18 से 31.03.2019 अर्थात् अगली निविदा होते तक होगी।
- द्वितीय पक्षकार वाहनों को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा :-
- वाहन का मासिक किराया रु0 25,000/- प्रतिमाह होगा, जिसमें वाहन चालक, पी0ओ0एल0, वाहन मेन्टेनेन्स, टोल टेक्स आदि व्यय सम्मिलित होगा।
- वाहन प्रतिमाह 2000 कि0मी0 से अधिक चलने पर रु. 5/- प्रति कि0मी0 दर से अतिरिक्त भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।
- परमिट प्रमाण पत्र एवं टैक्स भुगतान रसिद तीनाही प्रस्तुत किया जाए।
- अनुबन्ध पत्र में निस्पादित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- वाहन का उपयोग कार्यक्रम के अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर अन्य राजकीय कार्य में भी किया जा सकता है।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लामार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कान्प्रेहेन्सिव इन्वयोरन्स के तहत मिलेगी।
- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य हैं तथा वहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।
- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 1000.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

(Handwritten signature)

पंचला रा यादव

Current Status of Supporting Supervision Year-2018-19

| Sl. No. | Name of District | No. of Block | Name of Block | Type of Vehicle | Registration No. of Vehicle | Taxi Permit No. of Vehicle | Name of Agency | Name of Agency/Vehicle's Owner |
|---------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | B l o c k L e v e l | 5 | BHADOHI | BOLERO | UP66 M 3778 | UP/63/102/AITP/2014/22 | M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI | KRIPA SHANKAR S/O JEET NARAYAN, MAJHGAWANA, KOIRAUNA, BHADOHI |
| 2 | | | CHC SURIYAWAN | BOLERO | UP 66 T 3512 | UP/63/102/AITP/2014/13 | Panch Lal Yadav S/o Nirahu Yadav, Majhgavan Koirauna. Bhadohi | Panch Lal Yadav S/o Nirahu Yadav, Majhgavan Koirauna. Bhadohi |
| 3 | | | CHC Gopiganj | BOLERO | UP66 L 6078 | UP/63/102/AITP/2014/23 | M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI | Mr. Khemraj s/o Nirahu, Majhgawana, Koirauna, Bhadohi |
| 4 | | | CHC DEEGH | BOLERO | UP66 T 3993 | UP/63/102/AITP/2014/78 | M/s. Harsh Enterprises] Achari Market, Soniyatalab, Gopiganj, Bhadohi | Mr Dharmendra Kumar S/o Harsu charan, Soniyatalab, Achari market, Bhadohi |
| 5 | | | CHC AURAI | ERITGA | UP66T 5482 | UP/63/102/AITP/2016/44 | M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI | Mr. Rajesh Kumar Pal S/o Vijay Kumar Pal, Parwatpur, Loharakhas, Bhadohi |
| 6 | D i s t r i c t L e v e l | 2 | Distt. Level | BOLERO | UP66 L 5607 | | M/s. Harsh Enterprises] Achari Market, Soniyatalab, Gopiganj, Bhadohi | SABEENA BANO W?O Late JAMEER AHAMAD SIDDIQUEE |
| 7 | | | | TUV | UP66T7374 | UP/63/AUTH/AITP/2018/131 | M/S. KRISHNA ENTERPRISES, CHAWAR KALA, UNJH BHADOHI | AMRIT LAL, Sansarapur, Chak Sundarpur, Gyanpur, Bhadohi |

Chief Medical Officer
Bhadohi